



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2900]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938

No. 2900]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3688(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुसूची स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
351	516डी	आंध्र प्रदेश राज्य में देवरापल्ली बाइपास के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गोल्लागुडेम, गोपालपुरम, जगन्नाथपुरम, अतच्युतापुरम, कोय्यलागुडेम, बय्यनागुडेम, सीतमपेट्टा, नरसन्नापलेम, जंगारेड्डीगुडेम, वेगावरम, ताडूवई, दरभागुडेम को जोड़ने वाला और आंध्र प्रदेश/तेलंगाना सीमा के निकट जीलूगुमिल्ली पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/20/2016-पी एण्ड एम (पार्टी)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड बी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1304(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2016 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the Highways specified in the column (3) of the Table below to be a National Highways, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The Highways, now declared to be National Highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new National Highways numbers and the description of the National Highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Sl. No.	New National Highways No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
351	516D	The highway starting from its junction with NH 16 near Deverapalli Bypass connecting Golladgudem, Gopalapuram, Jaganathapuram, Atchyutapuram, Koyyalgudem, Bayyanagudem, Seetampeta, Narasannapalem, Jangareddigudam, Vegavaram, Taduvai, Darbhagudem in the State of Andhra Pradesh and terminating at Jeelugumilli near Andhra Pradesh/Telangana border.

[F. No. NH-14012/20/2016-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1304 (E), dated 4th April, 2016.